फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

शंकर बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

प्रकरण संख्या 50/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
30.10.2023	संशोधित आदेश प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 05.10.2023 में साहवन से पत्रावली संख्या 209/2022 के स्थान पर 209/2023 एवं उनवान रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम चौथी व अन्य के स्थान पर रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम शंकर व अन्य टंकित हो गया । अतः दिनांक 05.10.2023 को संशोधित किये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 05.10.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। उक्त उनवानी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 05.10.2023 में पत्रावली संख्या 209/2023 के स्थान पर 209/2022 एवं रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम शंकर व अन्य के स्थान पर रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम चौथी व अन्य पढा जावे। यह संशोधित आदेश पूर्व आदेश दिनांक 05.10.2023 का जुज भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :50/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शंकर पुत्र स्व. श्रीनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मनोरियावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ।
2. रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि. पंजीकृत 709 ओके प्लस टॉवर, सैक्टर 7, मानसरोवर जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 209/2023 ब उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि. बनाम शंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी राजेश कुमार कुडी अधिवक्ता प्रार्थी की उपस्थित है।
2. श्री संदीप पूनिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 209/2023 ब उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि. बनाम शंकर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री संदीप पूनिया ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी ने मुन्मकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्राईवेट लि. जरिये हस्ताक्षकर्ता श्री किशन सैनी जो कि एक राजनैतिक व प्रभावशाली व प्रोपर्टी कारोबारी एवं ऊची पहुंच वाला व्यक्ति है जो अपने प्रभाव से अप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि के विशिष्ट भू भाग से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। इसी उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थी पूर्व में हुये मनबट के आधार पर अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है, लेकिन बराये बदनियती अप्रार्थी संख्या 2, प्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर अपने मनमाफिक विभाजन करवाने पर आमादा फिसाद है। प्रार्थी को उक्त वाद में कुरेजात के आदेश करने है। दिनांक 16.09.2022 को जब प्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये तो प्रार्थी ने रीडर से निवदेन किया कि जबाब हेतु समय दिया जावे जिससे कि जबाब विस्तृत रूप से तैयार किया जा सके एवं दस्तावेजात की नकले एवं प्रमाणित प्रतियां भी निकलवानी है जिनमें समय लग सकता है। उक्त दस्तावेजात प्राप्त होने के पश्चात सही तरीके से जबाब पेश किया जा सके, परन्तु न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 23.09.2023 नियत कर दी। तत्पश्चात 28.09.2022 एवं 06.10.2022 नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई तारीखों के मध्य सरकारी अवकाश होने की वजह से प्रार्थी को दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पा रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रोपर्टी कारोबारी व प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है तथा आर्थिक आधार पर भी सुदृढ है जिसके द्वारा गांव के मोजिस लोगों से भी कहा जा रहा है कि जल्द ही विवादग्रस्त आराजी का तकास्मा करवा कर भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कालोनी विकसित करूंगा और आप लोग मेरा कुछ नही गिगड सकते । पीठासीन अधिकारी उक्त्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी सें न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 209/2023 ब उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि बनाम शंकर व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम/उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 5.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर